भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4313

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई के लिए जल का उपयोग

4313. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 2014-2019 की अवधि के दौरान देशभर में सिंचाई के लिए जल के उपयोग की यथार्थ मात्रा के बारे में बताएगी और यदि हां, तो 2014-2019 की अवधि के दौरान सिंचाई में जल के उपयोग की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 2014-2019 की अवधि के दौरान देश में राज्य-वार कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत है;

(ग) क्या सरकार की सिंचित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने संबंधी योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 2014-2019 की अवधि के दौरान देशभर में सिंचाई योजनाओं में तेजी लाने के लिए आबंटन की गई निधियों की मात्रा कितनी है;

(ङ) नई योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होने की संभावना है; और

(च) 2019-2020 के दौरान सिंचाई क्षेत्र के लिए आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (च) राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग ने अपनी 1999 की रिपोर्ट में वर्ष 2010 और 2025 के लिए सिंचाई हेतु जल की मांग को भारत में कुल जल की मांग का क्रमशः 78 प्रतिशत और 72 प्रतिशत आकलित किया है। कृषि गणना, 2015-16 (चरण II) के अनुसार, भारत में निवल सिंचाई क्षेत्र 68,233.83 हजार हेक्टेयर है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निवल सिंचाई क्षेत्र **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

भारत सरकार ने 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आरंभ की, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास, खेत में ही जल उपयोग दक्षता में सुधार, सतत जल संरक्षण पद्धतियां आरंभ करना आदि है। पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटक हैं नामतः, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम; कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन; भूजल सिंचाई के हर खेत को पानी घटक, सतही-लघु सिंचाई और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली; कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा

कार्यान्वित की जा रही, बूंद बूंद से अधिक फसल; और भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही वाटर शेड डेवलपमेंट।

2016-17 में एआईबीपी के अंतर्गत निन्यानवे (99) चालू प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (और सात चरण), जिनकी चरम सिंचाई क्षमता 76 लाख हेक्टेयर है और 31,342 करोड़ रू. की केंद्रीय सहायता घटक सहित 77,595 करोड़ रु. की शेष अनुमानित लागत के साथ सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के साथ चरणों में पूरा किए जाने के लिए राज्यों के साथ परामर्श से पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के भूजल घटक में भूजल सिंचाई के माध्यम से सिंचित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 2019-20 के दौरान, भूजल के माध्यम से 56,000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचाई के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है। सतही लघु सिंचाई स्कीम के अंतर्गत 12वीं योजना से आगे, 13222 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ 5838 स्कीमें चल रही हैं और 10.412 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता करने का लक्ष्य है। मार्च, 2019 तक राज्यों को 6531 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी और चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 (अब तक) के दौरान 694.71 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली स्कीम के अंतर्गत 12वीं योजना से आगे 1910 करोड़ रु. की अनुमानित लागत और 1.888 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता के साथ 2219 स्कीमें चालू हैं। राज्यों को मार्च, 2019 तक 369 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी और चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 (अब तक) में 64.78 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बूंद बूंद से अधिक फसल घटक को कार्यान्वित करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- बूंद बूंद से अधिक फसल, मुख्यतः प्रिसिजन/माइक्रो सिंचाई के जरिए खेत में जल के दक्ष उपयोग पर बल देता है। प्रिसिजन सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली), खेत में जल के बेहतर प्रबंध की व्यवस्था जिससे उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सका, को बढ़ावा देने के अतिरिक्त इस घटक के माध्यम से लघु सिंचाई को बढ़ावा देने की दृष्टि से लघु स्तर जल भंडारण अथवा जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों में भी सहयोग मिलता है। भूमि संसाधन विभाग पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक को कार्यान्वित करता है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2014-15 में 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिसके तहत लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र कवर किया गया है। वाटरशेड विकास के तहत वर्ष 2014-15 से 2019-20 (31.12.2019 तक) के दौरान 9681.81 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य घटकों के अंतर्गत नामतः एआईबीपी, सीएडीडब्ल्यूएम, बूंद बूंद से अधिक फसल और वाटरशेड विकास के अंतर्गत राज्यवार केंद्रीय सहायता राशि का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-II**, **अनुबंध-III**, **अनुबंध-IV** तथा **अनुबंध-V** पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक- I

"सिंचाई के लिए जल का उपयोग" के संबंध में दिनांक 19.03.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4313 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र

क्र.□□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.26
2	आंध्र प्रदेश	3158.24
3	अरुणाचल प्रदेश	56.22
4	असम	188.92
5	बिहार	3287.81
6	चंडीगढ़	0.88
7	छत्तीसगढ़	1437.97
8	दादरा एवं नगर हवेली	2.55
9	दमन और दीव	0.27
10	दिल्ली	21.27
11	गोवा	23.84
12	गुजरात	5322.50
13	हरियाणा	3492.27
14	हिमाचल प्रदेश	121.41
15	जम्मू और कश्मीर	383.01
16	झारखंड	247.29
17	कर्नाटक	3411.83
18	केरल	311.03
19	लक्षद्वीप	0.00
20	मध्य प्रदेश	8422.12
21	महाराष्ट्र	3058.49
22	मणिपुर	35.60
23	मेघालय	69.03
24	मिजोरम	15.63
25	नागालैंड	98.19
26	ओडिशा	1179.97
27	पुदुच्चेरी	12.06
28	पंजाब	3936.19
29	राजस्थान	7758.80
30	सिक्किम	10.16
31	तमिलनाडु	2953.61
32	तेलंगाना	1577.42
33	त्रिपुरा	81.47
34	उत्तर प्रदेश	13703.08
35	उत्तराखंड	327.02
36	पश्चिम बंगाल	3527.43
	□□□	**68233.83**

स्रोत:कृषि गणना प्रभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

अनुलग्नक- II

"सिंचाई □□लिए □□ □□ □□□□□" के संबंध में दिनांक 19.03.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4313 □□□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमकेएसवाई के तहत 99 प्राथमिकीकृत एआईबीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रूपए में)

क्र.□□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-2019	2019-20*
1	आंध्र प्रदेश	22.63	0
2	असम	0	0
3	बिहार	84.14	11.98
4	छत्तीसगढ़	30.54	4.09
5	गोवा	0	-
6	गुजरात	3419.65	485.35
7	जम्मू और कश्मीर	26.49	5.88
8	झारखंड	756.73	-
9	कर्नाटक	791.98	163.42
10	केरल	0	0
11	मध्य प्रदेश	562.41	26.45
12	महाराष्ट्र	1270.42	291.68
13	मणिपुर	174.34	30.5
14	ओडिशा	1041.83	90.65
15	पंजाब	52.42	0
16	राजस्थान	357.91	7.04
17	तेलंगाना	560.67	214.04
18	उत्तर प्रदेश	598.39	407.68
	□□□	**9750.55**	**1738.76**

* □□ □□

अनुलग्नक- III

"सिंचाई □□लिए □□ □□ □□□□□" के संबंध में दिनांक 19.03.2020 को उत्तर दि□ □□□□□□□□□□ □□□ अतारांकित प्रश्न संख्या 4313 □□□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमकेएसवाई के तहत सीएडीडब्ल्यूएम निर्माण कार्य हेतु जारी की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(रूपए करोड़ में)

क्र.□□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-2019	2019-20*
1	आंध्र प्रदेश	69.18	
2	असम	3.55	
3	बिहार	35.82	
4	छत्तीसगढ़	21.71	
5	गोवा	0.00	
6	गुजरात	1719.16	
7	जम्मू और कश्मीर	1.70	
8	झारखंड	0.00	
9	कर्नाटक	60.15	3.79
10	केरल	0.00	
11	मध्य प्रदेश	251.45	
12	महाराष्ट्र	73.79	
13	मणिपुर	0.00	
14	ओडिशा	97.50	
15	पंजाब	0.00	
16	राजस्थान	9.91	10.22
17	तेलंगाना	36.34	
18	उत्तर प्रदेश	0.00	150.00
	□□□	**2380.26**	**164.01**

* □□ □□

अनुलग्नक- IV

"सिंचाई □□लिए □□ □□ □□□□□" के संबंध में दिनांक 19.03.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4313 □□□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रूपए में)

क्र.□□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (25.2.2020 □□)
1	आंध्र प्रदेश	206.47	308.69	517.10	520.00	452.00
2	बिहार	28.60	21.60	12.50	27.91	0.00
3	छत्तीसगढ़	20.30	44.80	55.00	43.39	32.15
4	गोवा	0.30	0.80	0.00	1.20	0.50
5	गुजरात	213.05	274.00	300.00	272.50	280.00
6	हरियाणा	34.97	27.00	14.01	27.41	16.80
7	हिमाचल प्रदेश	7.60	8.50	19.25	26.00	18.00
8	झारखंड	14.97	30.70	25.00	10.00	22.97
9	जम्मू और कश्मीर	4.87	5.40	3.00	7.80	5.50
10	कर्नाटक	213.12	229.00	385.00	372.03	410.00
11	केरल	8.53	0.00	25.00	4.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	161.74	121.10	150.00	132.56	102.00
13	महाराष्ट्र	107.26	305.70	362.50	360.00	325.00
14	ओडिशा	28.70	39.70	48.00	58.00	30.00
15	पंजाब	43.00	1.18	0.00	9.00	0.00
16	राजस्थान	142.84	129.00	107.50	168.48	75.00
17	तमिलनाडु	129.78	143.50	369.55	355.00	204.00
18	तेलंगाना	111.32	189.00	257.00	122.00	0.00
19	उत्तराखंड	9.60	15.00	27.20	43.00	32.00
20	उत्तर प्रदेश	37.51	41.40	55.00	87.88	100.00
21	पश्चिम बंगाल	4.80	19.90	31.00	40.00	20.00
22	अरुणाचल प्रदेश	2.60	2.00	8.30	12.50	18.00
23	असम	5.03	11.00	3.00	30.00	42.00
24	मणिपुर	2.76	3.60	7.50	40.00	15.00
25	मेघालय	1.43	0.00	3.30	12.00	0.00
26	मिजोरम	3.27	8.10	12.30	27.80	27.00
27	नागालैंड	2.34	4.50	11.80	35.00	30.00
28	सिक्किम	4.86	5.40	4.00	55.19	31.80
29	त्रिपुरा	1.55	0.00	3.75	15.00	18.00
30	अंडमान और निकोबार	0.20	0.00	0.50	0.00	0.00
31	पुदुच्चेरी	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	□□□ □□	1555.40	1990.57	2818.06	2915.65	2307.72

"सिंचाई □□लिए □□ □□ □□□□□" के संबंध में दिनांक 19.03.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4313 □□□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

□□□□□□□□□□-वाटरशेड विकास घटक के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रूपए में)

क्र.□□	राज्य	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा (2014-15 □□2019-20)#
1	आंध्र प्रदेश	749.97
2	अरुणाचल प्रदेश	125.62
3	असम	222.30
4	बिहार	172.44
5	छत्तीसगढ़	177.91
6	गुजरात	526.73
7	हरियाणा	70.88
8	हिमाचल प्रदेश	106.27
9	जम्मू और कश्मीर	192.55
10	झारखंड	66.51
11	कर्नाटक	694.67
12	केरल	102.06
13	मध्य प्रदेश	1101.95
14	महाराष्ट्र	1077.40
15	मणिपुर	59.37
16	मेघालय	83.55
17	मिजोरम	161.40
18	नागालैंड	391.07
19	ओडिशा	642.47
20	पंजाब	15.91
21	राजस्थान	1464.45
22	सिक्किम	7.70
23	तमिलनाडु	434.72
24	तेलंगाना	327.65
25	त्रिपुरा	110.35
26	उत्तराखड	108.55
27	उत्तर प्रदेश	272.70
28	पश्चिम बंगाल	214.65
	□□□	**9681.80**

पूर्व आईडब्ल्यूएमपी सहित 31.12.2019 तक

टिप्पणी:

1. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई किसी भी संघ शासित क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख) द्वारा शुरू नहीं किया गया है।
2. गोवा में कोई भी स्वीकृत परियोजना नहीं है।